



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-60/2022- 467 दिनांक :- 29/05/2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/देवघर वन प्रमंडल, देवघर/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत स्थायी पौधशाला में लम्बे पौधे उगाने का द्वितीय वर्ष कार्य हेतु कुल रु0 7.053 लाख (सात लाख पाँच हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-06/2021-40/स्वी0 व0प0 दिनांक-29.03.2023 एवं आवंटन आदेश संख्या-4/यो0ब0-06/2021-14/OSP व0प0 दिनांक-18.05.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-39-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल 7.053 लाख (सात लाख पाँच हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड           | (राशि लाख में) |
|---------------------|----------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S24060110139000103 | 5.938          |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S24060110139000323 | 1.115          |
| कुल :-              |                      | 7.053          |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110139000103 तथा 19S24060110139000323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. वैसी राशि जिनके व्यय की संभावना इस वित्तीय वर्ष में क्षीण है, उनकी निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई भी duplication कार्य अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय तथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू ब्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

10. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2022-23 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

11. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

12. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

13. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

17. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016

द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यो को छोड़कर अन्य कार्यो तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत स्थायी अनुदेश सं०-1681 दिनांक-08.06.2015 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

21. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1681 दिनांक-10.06.2015 की कंडिका-3 अनुसार इस योजनान्तर्गत आवंटित राशि में से 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक 50 प्रतिशत तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक शेष 50 प्रतिशत की निकासी की जायेगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-60/2022-407 दिनांक- 29/05/2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संधाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ राँची/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ पी0एम0यू0, योजना अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-60/2022-407 दिनांक- 29/05/2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ गुमला/ लोहरदगा/ मेदिनीनगर/ लातेहार/ गढ़वा/ देवघर/ गोड्डा/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत स्थायी पौधशाला में लम्बे पौधे उगाने का कार्य द्वितीय वर्ष हेतु प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

| क्र० सं०   | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य |                     |          |
|------------|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------|
|            |                                   |              | मजदूरी         | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल      |
|            |                                   |              | 45673.32       | 8586.00             | 54259.32 |
| i          | ii                                | iii          | iv             | v                   | vi       |
| 1          | राँची वन प्रमंडल, राँची           | 20000        | 0.913          | 0.171               | 1.084    |
| 2          | गुमला वन प्रमंडल, गुमला           | 10000        | 0.457          | 0.086               | 0.543    |
| 3          | लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा       | 10000        | 0.457          | 0.086               | 0.543    |
| 4          | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर   | 10000        | 0.457          | 0.086               | 0.543    |
| 5          | लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार       | 10000        | 0.457          | 0.086               | 0.543    |
| 6          | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा   | 20000        | 0.913          | 0.171               | 1.084    |
| 7          | देवघर वन प्रमंडल, देवघर           | 20000        | 0.913          | 0.171               | 1.084    |
| 8          | गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा         | 10000        | 0.457          | 0.086               | 0.543    |
| 9          | दुमका वन प्रमंडल, दुमका           | 10000        | 0.457          | 0.086               | 0.543    |
| 10         | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका     | 10000        | 0.457          | 0.086               | 0.543    |
| कुल योग :- |                                   | 130000       | 5.938          | 1.115               | 7.053    |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

# स्थायी पौधशाला में अतिरिक्त लम्बे पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी प्रति मानव दिवस :- 346.01 रुपये  
लम्बे पौधे 10" x 16" पॉलीबैग में ---10000 (दस हजार)

स्थायी बेंडों की संख्या-20

| क्रम                                                                                | कार्य का विवरणी                             | मानव दिवस | मजदूरी रु० में | सामग्री रु० में | कुल व्यय रु० में |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 1                                                                                   | 2                                           | 3         | 4              | 5               | 6                |
| स्थायी पौधशाला में 10"×16" पॉलीबैग में लम्बे पौधे उगाने हेतु पौधों का लक्ष्य-10,000 |                                             |           |                |                 |                  |
| A                                                                                   | द्वितीय वर्ष                                | 346.01    |                |                 |                  |
| 1                                                                                   | अप्रैल से 30 जून तक पौधों में पानी पटवन आदि | 132       | 45673.32       | 7500.00         | 53173.32         |
| 2                                                                                   | आकस्मिक कार्य 2%                            |           |                | 1086.00         | 1086.00          |
|                                                                                     | योग :-                                      | 132       | 45673.32       | 8586.00         | 54259.32         |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

वित्त वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-60/2022/407

दिनांक - 29-May-2023

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                          | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                                    | आवंटित राशि                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30640     | DRNFWL013<br><br>SRIKANT IFS<br><br>DFO. RANCHI FOREST<br>DIVISION RA<br><br>03 - मजदूरी | 91,300.00<br><br>रुपये इनकानवे हजार तीन सौ  |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |           |                                                                                          |                                             |
| 2       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30642     | GMLFOR001<br><br>AHMAD BELAL ANWAR<br><br>D.F.O. GUMLA<br><br>03 - मजदूरी                | 45,700.00<br><br>रुपये पैंतालीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |           |                                                                                          |                                             |
| 3       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30643     | LDGFOR001<br><br>SRI ARVIND KUMAR<br><br>DIV.FOREST OFFICE<br><br>03 - मजदूरी            | 45,700.00<br><br>रुपये पैंतालीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |           |                                                                                          |                                             |

योग: रुपये एक लाख बयासी हजार सात सौ

182,700.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCC/DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                          | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                                           | आवंटित राशि                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30644     | PLMFOR070<br><br>SAUMITRA SHUKLA IFS<br><br>D.F.O.MEDININAGAR.<br>OREST.DIV.<br><br>03 - मजदूरी | 45,700.00<br><br>रुपये पैंतालीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |           |                                                                                                 |                                             |
| 5       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30645     | LTRFOR001<br><br>RAUSHAN KUMAR<br><br>DFO FOREST DIV<br>LATEHAR<br><br>03 - मजदूरी              | 45,700.00<br><br>रुपये पैंतालीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |           |                                                                                                 |                                             |
| 6       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30646     | GRHFWL004<br><br>SHASHI KUMAR<br><br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA<br><br>03 - मजदूरी              | 91,300.00<br><br>रुपये इनकानवे हजार तीन सौ  |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |           |                                                                                                 |                                             |

योग:

रुपये तीन लाख पैंसठ हजार चार सौ

182,700.00

क्रमिक योग:

365,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PRGCE DEV. JHARKHAND

RANCH

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                        | एक्सोस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                    | आवंटित राशि                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30647     | DGRFORE88<br>RAJ KUMAR SAH<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO.<br>03 - मजदूरी     | 91,300.00<br>रुपये इनकानवे हजार तीन सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                          |           |                                                                          |                                        |
| 8       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30648     | GDDFOR164<br>MAUN PRAKASH<br>DFO GODDA FOREST<br>DIVISION<br>03 - मजदूरी | 45,700.00<br>रुपये पैतालीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                          |           |                                                                          |                                        |
| 9       | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30649     | DMKFOR010<br>SATWIK<br>D.F.O.DUMKA<br>03 - मजदूरी                        | 45,700.00<br>रुपये पैतालीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                          |           |                                                                          |                                        |

योग: रुपये पाँच लाख अड़तालीस हजार एक सौ  
क्रमिक योग:

  
(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

182,700.00

548,100.00

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                          | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                                                | आवंटित राशि                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 10      | S 19 24060110139000103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 30650    | DMKFOR003<br><br>SRI VISHWA NATH<br>PRASAD<br>D.F.O.S.F.DIVDUMKA<br><br>03 - मजदूरी                  | 45,700.00<br>रुपये पैतालीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |          |                                                                                                      |                                        |
| 11      | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 30651    | DRNFWL013<br><br>SRIKANT IFS<br><br>DFO. RANCHI FORES<br>DIVISION RA<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 17,100.00<br>रुपये सत्रह हजार एक सौ    |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |          |                                                                                                      |                                        |
| 12      | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 30652    | GMLFOR001<br><br>AHMAD BELAL ANWAR<br><br>D.F.O. GUMLA<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री               | 8,600.00<br>रुपये आठ हजार छः सौ        |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |          |                                                                                                      |                                        |

योग: रुपये छः लाख उन्नीस हजार पाँच सौ

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

RANCH

Run Date: 29/5/2023

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                                                                          | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                                                        | आवंटित राशि                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 13      | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br><br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 30653    | LDGFOR001<br><br>SRI ARVIND KUMAR<br><br>DIV.FOREST OFFICER<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री                  | 8,600.00<br><br>रुपये आठ हजार छः सौ |
| 14      | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br><br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 30654    | PLMFOR070<br><br>SAUMITRA SHUKLA IFS<br><br>D.F.O.MEDININAGAR.<br>OREST.DIV.<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 8,600.00<br><br>रुपये आठ हजार छः सौ |
| 15      | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br><br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 30655    | LTRFOR001<br><br>RAUSHAN KUMAR<br><br>DFO FOREST DIV<br>LATEHAR<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री              | 8,600.00<br><br>रुपये आठ हजार छः सौ |

योग: रुपये छः लाख पैतालीस हजार तीन सौ  
क्रमिक योग:

25,800.00

645,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

| क्रमांक                                                    | विपत्र कोड                                                                                                                                                                                                                          | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                                             | आवंटित राशि                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16                                                         | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br><br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 30656     | GRHFWL004<br><br>SHASHI KUMAR<br><br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री   | 17,100.00<br><br>रुपये सत्रह हजार एक सौ |
| 17                                                         | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br><br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 30657     | DGRFORE88<br><br>RAJ KUMAR SAH<br><br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO.<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री     | 17,100.00<br><br>रुपये सत्रह हजार एक सौ |
| 18                                                         | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br><br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 30658     | GDDFOR164<br><br>MAUN PRAKASH<br><br>DFO GODDA FOREST<br>DIVISION<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 8,600.00<br><br>रुपये आठ हजार छः सौ     |
| योग:                                                       | रुपये छः लाख अठ्यासी हजार एक सौ                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                   | 42,800.00                               |
| क्रमिक योग:                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                   | 688,100.00                              |
| (NAND KISHORE SINGH)<br>ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND<br>RANCH |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                   | Run Date: 29/5/2023                     |

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                          | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                                            | आवंटित राशि                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 19      | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 30659     | DMKFOR010<br><br>SATWIK<br><br>D.F.O.DUMKA<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री                       | 8,600.00<br><br>रुपये आठ हजार छः सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |           |                                                                                                  |                                     |
| 20      | S 19 24060110139000323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 30660     | DMKFOR003<br><br>SRI VISHWA NATH<br>PRASAD<br>D.F.O.S.F.DIVDUMKA<br><br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 8,600.00<br><br>रुपये आठ हजार छः सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                            |           |                                                                                                  |                                     |

योग: रुपये सात लाख पाँच हजार तीन सौ

क्रमिक योग:

17,200.00

705,300.00

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

RANCH